मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या २२७/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ३०३/२०१६)
श्रीमती चिरौंजी कुशवाहा आदि प्रति केश अख्तर शेख आदि

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुई। प्रार्थिया न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में पूर्व नियत उपस्थित आयी। ३बी प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। ३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थिया/याचिया श्रीमती हरकुरा पत्नी सेतुराम द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार प्रार्थिया के नाम सिंडीकेट बैंक गोविन्द चौराहा, झाँसी में ₹ २३,१०६ की एफ.डी.आर खाता नं. ९२३५४०५०००२२१६/१ दिनाँक २७.०९.२०१८ को तीन वर्ष के लिए बनाई गई थी। प्रार्थिया बृद्धावस्था के कारण अस्वस्थ रहती है और चलने-फिरने में असमर्थ है, उसे लकवा मार गया था व उसे इलाज हेतु रुपयों की आवश्यकता है। प्रार्थिया के पास उक्त एफ.डी.आर. के अलावा अन्य कोई रुपया नहीं है, अपने इलाज हेतु उक्त धनराशि उसे नहीं मिलती है तो प्रार्थिया की जान पर बन आवेगी। अतः प्रार्थिया ने उसके नाम जमा उक्त एफ.डी.आर. को समाप्त कर उसकी मय ब्याज धनराशि उसे दिलाए जाने की याचना की है। प्रार्थिया ने समर्थन में अपना शपथपत्र ४सी२, एफ.डी.आर. की छाया प्रति, अपने बैंक खाते की पासबुक व आधार कार्ड की छाया प्रति पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं।

प्रकीर्ण वाद की पत्रावली व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध एम.ए.सी.पी. सं. ३०३/२०१६ श्रीमती चिरौंजी कुशवाहा आदि बनाम कैश अख्तर शेख आदि में पारित निर्णय दिनाँकित २३.०७.२०१८ की सत्य प्रतिलिपि के अवलोकन से विदित होता कि प्रस्तुत याचिका में प्रार्थिया/याचिया सं. ५ श्रीमती हरकुरा को ₹ ५०,००० प्रतिकर की धनराशि प्राप्त होनी थी, जिसमें से २०,०००/-रु. उसके नाम तीन वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना के अन्तर्गत जमा की जानी थी। प्रार्थिया की ओर से दाखिल उक्त एफ.डी.आर. की छाया प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया के नाम **₹ २३,१०६** की एफ.डी.आर. दिनाँक २७.०९.२०१८ को जारी की गई है, जिसकी परिपक्वता अवधि २७.०९.२०२१ है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है प्रार्थिया बृद्धावस्था के कारण अस्वस्थ रहती है और वह चलने-फिरने में असमर्थ है, उसे लकवा मार गया था, उसे इलाज हेतु रुपयों की आवश्यकता है। प्रार्थिया के पास उक्त एफ.डी.आर. के अलावा अन्य कोई रुपया नहीं है, उसे अपने इलाज हेतु उक्त धनराशि नहीं मिलती है तो प्रार्थिया की जान पर बन आवेगी। उक्त कथनों का समर्थन याचिया ने अपने शपथपत्र ४सी२ में किया है। प्रार्थिया की उक्त धनराशि की आवश्यकता वास्तविक प्रतीत होती है, अतः प्रार्थिया को क्षतिपूर्ति की उक्त जमाशुदा एफ.डी.आर. की सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज को समय से पूर्व दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार न्याय हित में प्रार्थिया का ३बी प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है और प्रार्थिया की उक्त प्रतिकर की धनराशि उसके बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट स्थानान्तरित किये जाने योग्य है।

आदेश

सिंडीकेट बैंक/कैनरा बैंक, शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ३०३/२०१६ (प्रकीर्ण वाद सं. २२१/२०२० श्रीमती चिरौंजी कुशवाहा आदि बनाम कैश अख्तर शेख आदि) के प्रकरण में प्रार्थिया के नाम एफ.डी.आर. खाता नं. ९२३५४०५०००२२१६/१ में जमा क्षतिपूर्ति धनराशि मय ब्याज को प्रार्थिया को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
Smt. Harkura	23106	100	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010002144	Syndicate Bank	SYNB0009235
Total	23106	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 14:39:37 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI